


- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार मुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

**ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-**

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगूठी
1	कृष्ण कान्त उपाध्याय	अध्यक्ष	कृष्ण कान्त
2	सजप श्रीवास्तव	सचिव	
3	उषा देवी	कोषाध्यक्ष	उषा देवी
4	नगीना देवी	सामान्य सदस्य	नगीना देवी
5	लक्ष्मी देवी	सामान्य सदस्य	लक्ष्मी देवी
6	दुर्गावती देवी	सामान्य सदस्य	दुर्गावती देवी
7	सुमन देवी	सामान्य सदस्य	सुमन देवी
8	सुषमा देवी	सामान्य सदस्य	सुषमा
9	गीता देवी	सामान्य सदस्य	गीता
10	सबनम	सामान्य सदस्य	सबनम
11	रजनीकान्त	सामान्य सदस्य	रजनीकान्त
12	अजीतराव	सामान्य सदस्य	अजीतराव
13	रोहित लाल	सामान्य सदस्य	रोहित लाल
14	महेन्द्र कुमार गौतम	सामान्य सदस्य	महेन्द्र कुमार गौतम
15	लिपाकान्त	सामान्य सदस्य	लिपाकान्त

  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम पंचायत - ज्ञानपुर  
पिन - 201001  
जनपद - बघेली

कृष्ण कान्त  
प्रधान  
ग्राम पंचायत देवाजितपुर  
बि०ख०ज्ञानपुर, जिला बघेली



ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

गाँव- देवाजीपुर

वि.सं- शानपुर जनपद- रोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 28-5-2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (पहिला / अनुसूचित / जनजाति / वर्ग / पेशे / धर्म / भूमिहीन)	विवरण (आय / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल नं०
1	कृष्ण कान्त उपाध्याय	ब्राह्मण	38	
2	रोजय श्रीवास्तव	लाला	58	7752434689
3	उषा देवी	ब्राह्मण	59	9815871063
4	नगीना देवी	हरिजन	59	9833649004
5	लक्ष्मी देवी	कोहार	40	8127221607
6	दुर्गावती देवी	हरिजन	29	8009409288
7	सुमन	हरिजन	32	8174936377
8	सुष्मा देवी	ब्राह्मण	45	9519025339
9	गौता देवी	अज्ञात	46	7518997870
10	सवनम	मुसलमान	32	9695155933
11	रजनीकान्त	ब्राह्मण	32	7390881386
12	अजीतशर्मा	हरिजन	42	4935297876
13	रोहित लाल	हरिजन	26	7376603950
14	महेन्द्र कुमार शर्मा	हरिजन	30	9601315962
15	लिपाकान्त	मुसलमान	40	8400007017
			58	9118444915

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम पंच - शानपुर  
वि.सं - रोही  
जनपद - भदवा

कृष्ण कान्त  
प्रधान  
ग्राम पंचायत देवाजीपुर  
शानपुर, जिला भदवा